

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 677 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

SHYAM SUNDER SINGH


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05P4389** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही हैं एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
SHYAM SUNDER SINGH	BR05P4389		BR8671230503182708	5/3/2023 6:27:08 PM	2000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 678 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

DILIP KUMAR SINGH


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05P5212** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही हैं एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
DILIP KUMAR SINGH	BR05P5212		BR8671230503183457	5/3/2023 6:34:57 PM	12000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 679/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

MD KHALIS


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05P5734** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही हैं एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
MD KHALIS	BR05P5734		BR8671230503183947	5/3/2023 6:39:47 PM	55000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 680/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

SHYAM SUNDAR SINGH

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PA9587** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही हैं एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
SHYAM SUNDAR SINGH	BR05PA9587		BR8671230503192347	5/3/2023 7:23:47 PM	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 681 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

DHIRENDRA KUMAR SINGH


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PB1780** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही हैं एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
DHIRENDRA KUMAR SINGH	BR05PB1780		BR8671230504092508	5/4/2023 9:25:08 AM	103968	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 682 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

KUNAL


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PA0906** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही हैं एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
KUNAL	BR05PA0906		BR8671230503190224	5/3/2023 7:02:24 PM	77040	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 509 /परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Mina Devi

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5371** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Mina Devi	BR06P5371		BR8720230504140124	5/4/2023	4500	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर ।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 510 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Manoj Krjha

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA0886** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Manoj Krjha	BR06PA0886		BR58720230504011113	5/4/2023	5000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/06/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 511 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Ambica Travels

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR006PA6972** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ambica Travels	BR006PA6972		BR58720230504010108	5/4/2023	5000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 512 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Prikshan Yadav

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD9330** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Prikshan Yadav	BR06PD9330		BR58720230504125311	5/4/2023	12000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 513 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Ankit Kashyap

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF1522** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ankit Kashyap	BR06PF1522		BR58720230504120753	5/4/2023	5000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 514 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Sri Mahip Kumar Ulab S R T...

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF1521** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Sri Mahip Kumar Ulab S R T...	BR06PF1521		BR58720230504115596	5/4/2023	15000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 515 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Amartya Kumar

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4143** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Amartya Kumar	BR06P4143		BR58720230504115197	5/4/2023	2000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 516 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Shaban Ahmad

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA4405** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Shaban Ahmad	BR06PA4405		BR58720230504114713	5/4/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 517 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Satrudhan Thakur

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA0340** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Satrudhan Thakur	BR06PA0340		BR58720230504114448	5/4/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 518 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Birendra Pd Yadav

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD8687** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Birendra Pd Yadav	BR06PD8687		BR58720230504114005	5/4/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 519 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Ram Jatan Singh

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P2086** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ram Jatan Singh	BR06P2086		BR58720230504113111	5/4/2023	5000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 520 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Dharmendra Manjhi Mmgpy

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE9066** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Dharmendra Manjhi Mmgpy	BR06PE9066		BR58720230504112717	5/4/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 521 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Saurav Singh

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF1392** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Saurav Singh	BR06PF1392		BR58720230504111964	5/4/2023	5000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 522 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Kundan Kumar Chandan

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD6955** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Kundan Kumar Chandan	BR06PD6955		BR58720230503053239	5/3/2023	48736	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 523 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Mukesh Bhagat

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF1584** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Mukesh Bhagat	BR06PF1584		BR58720230503052457	5/3/2023	12000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/06/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 524 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Sanjay Rao

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE7745** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Sanjay Rao	BR06PE7745		BR58720230503051994	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 525 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Mahendra Kishor Singh

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA5545** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Mahendra Kishor Singh	BR06PA5545		BR58720230503051439	5/3/2023	15000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 526 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Mr Manoj Kumar Ray

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF1052** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Mr Manoj Kumar Ray	BR06PF1052		BR58720230503051036	5/3/2023	10000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/06/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 527 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Bhuneshwar Pdsingh

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P1821** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Bhuneshwar Pdsingh	BR06P1821		BR58720230503050748	5/3/2023	7000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 528 /परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Ranbir Kumar

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA8840** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ranbir Kumar	BR06PA8840		BR58720230503050441	5/3/2023	10000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 529 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Shivshankar Baithammgpy

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF1026** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Shivshankar Baithammgpy	BR06PF1026		BR58720230503045791	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/06/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 530 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Sanjiv Kumar Singh

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA1601** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Sanjiv Kumar Singh	BR06PA1601		BR58720230503045561	5/3/2023	15500	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 531 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Ms Anand Travels

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3616** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ms Anand Travels	BR06P3616		BR58720230503045291	5/3/2023	66040	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 532 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Shyam Sundar Kumar

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF0758** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Shyam Sundar Kumar	BR06PF0758		BR58720230503040817	5/3/2023	15000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 533 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Chandan Kumar Singh

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3654** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Chandan Kumar Singh	BR06P3654		BR58720230503040618	5/3/2023	7000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 534 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Husna Ara

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE7329** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Husna Ara	BR06PE7329		BR58720230503030629	5/3/2023	2000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 535 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Md Khalis

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P6986** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Md Khalis	BR06P6986		BR58720230503025763	5/3/2023	43360	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 536 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Ganesh Paswanmmgpy

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30PA4023** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ganesh Paswanmmgpy	BR30PA4023		BR58720230503024650	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 537 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Abhishek Kumarmmgpy

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF0626** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Abhishek Kumarmmgpy	BR06PF0626		BR58720230503024484	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/06/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 538 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Pappu Das

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF0421** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Pappu Das	BR06PF0421		BR58720230503022599	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 539 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Niraj Kumar

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB8847** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Niraj Kumar	BR06PB8847		BR58720230503022463	5/3/2023	7000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/06/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 540 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Sanjiv Kumar Mishra

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE9435** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Sanjiv Kumar Mishra	BR06PE9435		BR58720230503021714	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 541 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Nageshwar Ram Mmgpy

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE9131** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liabilty प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Nageshwar Ram Mmgpy	BR06PE9131		BR58720230503021611	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 542 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Yogendra Paswan

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA0939** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Yogendra Paswan	BR06PA0939		BR58720230503020660	5/3/2023	67704	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 543 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Kiran Shukla

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA5551** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Kiran Shukla	BR06PA5551		BR58720230503015952	5/3/2023	82312	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 544 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Jitendra Kumar Singh

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD4240** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Jitendra Kumar Singh	BR06PD4240		BR58720230503014803	5/3/2023	78224	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 545 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Vikash Kumar

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE6436** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Vikash Kumar	BR06PE6436		BR58720230503014655	5/3/2023	22824	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 546 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Aniruddh Prasad

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P8647** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Aniruddh Prasad	BR06P8647		BR58720230503010170	5/3/2023	47928	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/06/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 547 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Sanjiv Kumar

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE8158** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Sanjiv Kumar	BR06PE8158		BR58720230503123604	5/3/2023	10000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 548 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Md Jahogir Alam

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30PA2933** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Md Jahogir Alam	BR30PA2933		BR58720230503123463	5/3/2023	10000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 549 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Om Prakash Singh

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA3370** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Om Prakash Singh	BR06PA3370		BR58720230503122645	5/3/2023	15000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 550 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Shanti Devi

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD5283** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Shanti Devi	BR06PD5283		BR58720230503122349	5/3/2023	2000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 551 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Ram Dinesh Singh

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC8746** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ram Dinesh Singh	BR06PC8746		BR58720230503121532	5/3/2023	10000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 552 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Vinod Mishra

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P6825** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Vinod Mishra	BR06P6825		BR58720230503121415	5/3/2023	68024	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 553 /परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Rani Devi

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC8740** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Rani Devi	BR06PC8740		BR58720230503121238	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 554 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Sanjay Kumar Rao

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA0145** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Sanjay Kumar Rao	BR06PA0145		BR58720230503121144	5/3/2023	15000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 555 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 /06 /2023

प्रेषित,

Vijaysah

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR55P0415** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Vijaysah	BR55P0415		BR58720230503120920	5/3/2023	10000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/06/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 556 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Manhar Kr Chaoudhary

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA3160** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Manhar Kr Chaoudhary	BR06PA3160		BR58720230503120835	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 557 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Ram Dinesh Singh

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE7930** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ram Dinesh Singh	BR06PE7930		BR58720230503120771	5/3/2023	10000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 558 /परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Sanjay Ram Mmgpy

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE6002** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Sanjay Ram Mmgpy	BR06PE6002		BR58720230503120560	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 559 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Ashok Kumar Ray

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P5073** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ashok Kumar Ray	BR22P5073		BR58720230503120381	5/3/2023	74600	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 560 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Fanindar Nath Singh

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P0712** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Fanindar Nath Singh	BR22P0712		BR58720230503120340	5/3/2023	55984	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 561 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Ramesh Kumar

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD5885** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ramesh Kumar	BR06PD5885		BR58720230503120167	5/3/2023	12000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 562 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Ram Vilas Sah

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P7929** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ram Vilas Sah	BR06P7929		BR58720230503116013	5/3/2023	2000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/06/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 563 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Shiv Kumar Soni

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE4396** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Shiv Kumar Soni	BR06PE4396		BR58720230503115747	5/3/2023	38752	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/06/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 564 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Mr Nawal Kishor Ray

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE5261** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Mr Nawal Kishor Ray	BR06PE5261		BR58720230503114975	5/3/2023	12000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 565 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Surendra Pd

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB8667** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Surendra Pd	BR06PB8667		BR58720230503114794	5/3/2023	64928	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 566 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Vikash Kumar

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P8632** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Vikash Kumar	BR06P8632		BR58720230503114551	5/3/2023	63072	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 567 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Ram Babu Rai

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3861** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ram Babu Rai	BR06P3861		BR58720230503114197	5/3/2023	5000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 568 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Md Ashraf

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30PA2511** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Md Ashraf	BR30PA2511		BR58720230503113942	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 569 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Rashami

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA2630** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Rashami	BR06PA2630		BR58720230503113750	5/3/2023	12000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 570 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Suchita Chaudhary

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PJ9595** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Suchita Chaudhary	BR01PJ9595		BR58720230503113556	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 571 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Mukesh Kumar

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31P5809** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Mukesh Kumar	BR31P5809		BR58720230503113308	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/06/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 572 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Arvind Kumar

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR21P5950** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Arvind Kumar	BR21P5950		BR58720230503113196	5/3/2023	10000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 573 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Dulari Devi

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR04M3051** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Dulari Devi	BR04M3051		BR58720230503113055	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 574 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Iliyas Ansari

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30PA2804** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Iliyas Ansari	BR30PA2804		BR58720230503112873	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 575 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Niten Shankar

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PC6702** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Niten Shankar	BR01PC6702		BR58720230503112948	5/3/2023	2000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 576 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Sunil Mahto

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30PA2941** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Sunil Mahto	BR30PA2941		BR58720230503112790	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 577 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Shri Ram Ray

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30PA2775** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Shri Ram Ray	BR30PA2775		BR58720230503112720	5/3/2023	12000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 578 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Sanjiv Singh

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30PA2379** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Sanjiv Singh	BR30PA2379		BR58720230503112637	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 579 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Sumit Kumar Mishra

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE6793** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Sumit Kumar Mishra	BR06PE6793		BR58720230503112462	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 580 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Satya Narayan Rai

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4222** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Satya Narayan Rai	BR06P4222		BR58720230503112335	5/3/2023	7000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 581 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Rakesh Kumar

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3162** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Rakesh Kumar	BR06P3162		BR58720230503112218	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/06/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 582 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Abhishek Ranjan

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22PA3582** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Abhishek Ranjan	BR22PA3582		BR58720230503111998	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 583 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Amirul Ansari

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22PA3580** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Amirul Ansari	BR22PA3580		BR58720230503111935	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 584 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Gita Devi

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB8940** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Gita Devi	BR06PB8940		BR58720230503111778	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 585 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Shatrudan Thaur

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4140** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Shatrudan Thaur	BR06P4140		BR58720230503111583	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/06/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 586 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Smtneelam Devi

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06D5891** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Smtneelam Devi	BR06D5891		BR58720230503111536	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/06/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 587 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Awadhesh Kumar Tiwari

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PA5141** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liabilty प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Awadhesh Kumar Tiwari	BR05PA5141		BR58720230503111387	5/3/2023	2000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 588 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Nand Kishore Rai

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA2736** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Nand Kishore Rai	BR06PA2736		BR58720230503110955	5/3/2023	5000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 589 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Lal Kumar

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30PA2736** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Lal Kumar	BR30PA2736		BR58720230503110596	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 590 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Prabhunath Kumar Sahmmgpy

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30PA1618** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Prabhunath Kumar Sahmmgpy	BR30PA1618		BR58720230503110538	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 591 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Jawahar Prasad

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30PA1315** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Jawahar Prasad	BR30PA1315		BR58720230503110437	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 592 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Lal Bahadur Singh

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB7476** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Lal Bahadur Singh	BR06PB7476		BR58720230503110133	5/3/2023	2000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 593 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Kunal

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3470** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Kunal	BR06P3470		BR58720230502040959	5/2/2023	5000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 594 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Jitendra Sharma

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC5066** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Jitendra Sharma	BR06PC5066		BR58720230502040405	5/2/2023	12000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 595 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Ramashre Sah

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR55P0282** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ramashre Sah	BR55P0282		BR58720230502040210	5/2/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 596 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Shahanaj Khatun

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30P8825** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Shahanaj Khatun	BR30P8825		BR58720230502040095	5/2/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 597 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Md Jahangir Alam

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30P1006** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Md Jahangir Alam	BR30P1006		BR58720230502035896	5/2/2023	10000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 598 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Barun Prakash Pandey

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD6525** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Barun Prakash Pandey	BR06PD6525		BR58720230502035584	5/2/2023	10000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 599 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Ritu Sharma

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC1240** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ritu Sharma	BR06PC1240		BR58720230502035378	5/2/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 600 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Shyam Jaiswal

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PB0771** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Shyam Jaiswal	BR05PB0771		BR58720230502035211	5/2/2023	79480	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 601 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Krishna Singh

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P7251** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Krishna Singh	BR22P7251		BR58720230502034637	5/2/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/06/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 602 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Shatrudhan Thakur

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB8240** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Shatrudhan Thakur	BR06PB8240		BR58720230502034046	5/2/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 603 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Neha Kumari

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31P9221** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Neha Kumari	BR31P9221		BR58720230502033777	5/2/2023	5000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 604 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Dharmjeet Krmishra

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4669** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Dharmjeet Krmishra	BR06P4669		BR58720230502033592	5/2/2023	2000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 605 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Sanjay Kumar Jha

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30P4798** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Sanjay Kumar Jha	BR30P4798		BR58720230502033464	5/2/2023	10000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 606 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Chandra Bhushan Singh

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB8132** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Chandra Bhushan Singh	BR06PB8132		BR58720230502033200	5/2/2023	5000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 607 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Ritu Sharma

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC4840** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ritu Sharma	BR06PC4840		BR58720230502032908	5/2/2023	12000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 608 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Uday Singh

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06GB2278** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Uday Singh	BR06GB2278		BR58720230502031995	5/2/2023	2000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 609 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Geeta Devi

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA8640** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Geeta Devi	BR06PA8640		BR58720230502031374	5/2/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 610 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Arun Giri

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05P4261** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Arun Giri	BR05P4261		BR58720230502031140	5/2/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 611 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Neelam Kumari

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30B6197** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Neelam Kumari	BR30B6197		BR58720230502031054	5/2/2023	2000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 612 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Devendra Kumar Gupta

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P2112** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Devendra Kumar Gupta	BR22P2112		BR58720230502030707	5/2/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 613 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Smritu Sharma

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4240** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Smritu Sharma	BR06P4240		BR58720230502025201	5/2/2023	7000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 614 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Avadh Kishor Choudhary

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE7311** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Avadh Kishor Choudhary	BR06PE7311		BR58720230502024303	5/2/2023	10000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 615 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Renu Sharma

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE4769** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Renu Sharma	BR06PE4769		BR58720230502023895	5/2/2023	10000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 616 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Dharamjeet Kumar Mishra

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE2979** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Dharamjeet Kumar Mishra	BR06PE2979		BR58720230502023828	5/2/2023	2000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 617 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Chitranjan Jha

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC8261** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Chitranjan Jha	BR06PC8261		BR58720230502023611	5/2/2023	2000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 618 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Mithlesh Singh

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA6081** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Mithlesh Singh	BR06PA6081		BR58720230502023445	5/2/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 619 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Prakash Chandra Tiwari

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P5625** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Prakash Chandra Tiwari	BR22P5625		BR58720230502023304	5/2/2023	5000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 620 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Sujeet Kumar

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P5181** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Sujeet Kumar	BR22P5181		BR58720230502023140	5/2/2023	7000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/06/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 621 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Jata Shankar Singh

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P9841** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Jata Shankar Singh	BR06P9841		BR58720230502022400	5/2/2023	10000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 622 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Arvind Kr Rai


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA0713** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Arvind Kr Rai	BR06PA0713		BR58720230502021750	5/2/2023	10000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 623 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Mdisodullah Others

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3656** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Mdisodullah Others	BR06P3656		BR58720230502021385	5/2/2023	10000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 624 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Nirbhay Tiwari

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PA2983** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Nirbhay Tiwari	BR05PA2983		BR58720230502020457	5/2/2023	12000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 625 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Bhola Kumar

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22U9221** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Bhola Kumar	BR22U9221		BR58720230502014171	5/2/2023	12000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 626 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Vishwajeet Kumar Shahi

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD9851** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Vishwajeet Kumar Shahi	BR06PD9851		BR58720230502013405	5/2/2023	7000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 627 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Mahip Kumar

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD9311** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Mahip Kumar	BR06PD9311		BR58720230502013220	5/2/2023	10000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 628 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Brahmdeo Verma

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC0786** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Brahmdeo Verma	BR06PC0786		BR58720230502011288	5/2/2023	72410	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 629 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Lal Bahadur Singh

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB3899** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Lal Bahadur Singh	BR06PB3899		BR58720230502010707	5/2/2023	7000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/06/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 630 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Pranay Kr Thakur

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06GC9601** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Pranay Kr Thakur	BR06GC9601		BR58720230502125032	5/2/2023	123728	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/06/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 631 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Mahendra Kumar Dwivedi

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PB8550** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Mahendra Kumar Dwivedi	BR05PB8550		BR58720230502124144	5/2/2023	12000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 632 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Amitesh Kumar Pandey

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PB1161** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Amitesh Kumar Pandey	BR05PB1161		BR58720230502123989	5/2/2023	61826	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 633 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Shyam Prasad

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA6651** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Shyam Prasad	BR06PA6651		BR8678230504163353	5/4/2023	95760	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/06/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर ।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 634 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Dr Veena Kumari Das

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE4473** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Dr Veena Kumari Das	BR06PE4473		BR58678230504012721	5/4/2023	10000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 635 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Santosh Mahto

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE2497** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Santosh Mahto	BR06PE2497		BR58678230504012479	5/4/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 636 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Sakila Khatun

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE3904** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Sakila Khatun	BR06PE3904		BR58678230504012048	5/4/2023	2000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/06/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 637 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Rajkishor Sah

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF3437** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Rajkishor Sah	BR06PF3437		BR58678230504010504	5/4/2023	10000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 638 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Santosh Kumar Ray

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB5427** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Santosh Kumar Ray	BR06PB5427		BR58678230504122921	5/4/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 639 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Istikhar Ahmad

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC6126** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Istikhar Ahmad	BR06PC6126		BR58678230504122663	5/4/2023	2000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 640 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Birendra Pd Yadav

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC6625** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Birendra Pd Yadav	BR06PC6625		BR58678230504121377	5/4/2023	10000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 641 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Jawed Akhtar

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF1757** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Jawed Akhtar	BR06PF1757		BR58678230504114857	5/4/2023	69120	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 642 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Manoj Raut

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3967** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Manoj Raut	BR06P3967		BR58678230504114228	5/4/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 643 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Vinod Singh

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P9512** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Vinod Singh	BR06P9512		BR58678230504113674	5/4/2023	7000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 644 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Rakesh Kumar Singh

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P7041** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Rakesh Kumar Singh	BR06P7041		BR58678230504113325	5/4/2023	2000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 645 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Ms Alok Travels

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD9016** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ms Alok Travels	BR06PD9016		BR58678230504111511	5/4/2023	10000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 646 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Nibha Devi

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA4755** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Nibha Devi	BR06PA4755		BR8677230504162152	5/4/2023	73808	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर ।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 647 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Suman Singh

विषय:- आपके वाहन संख्या **JH20A2416** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Suman Singh	JH20A2416		BR8677230504142503	5/4/2023	20500	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर ।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 648 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Pavan Kumar Ray

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P6227** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Pavan Kumar Ray	BR06P6227		BR8677230504122433	5/4/2023	63992	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर ।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 649 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 /06 /2023

प्रेषित,

Vartika Singh

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA7217** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Vartika Singh	BR06PA7217		BR8677230504121938	5/4/2023	7000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर ।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 650 /परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Anjali Shahi

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF5882** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Anjali Shahi	BR06PF5882		BR8677230504120506	5/4/2023	67184	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर ।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 651 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Bhola Kumar

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06GB9221** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Bhola Kumar	BR06GB9221		BR8677230504115711	5/4/2023	2000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/06/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर ।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 652 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Rajesh Kumar Singh


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF1871** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Rajesh Kumar Singh	BR06PF1871		BR8677230504112639	5/4/2023	10000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 653 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Dineshwar Singh

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA5445** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Dineshwar Singh	BR06PA5445		BR8677230504105214	5/4/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/06/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर ।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 654 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Geeta Devi

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P6040** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Geeta Devi	BR06P6040		BR8677230504104514	5/4/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर ।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 655 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Shivshankar Baithammgpy


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF1026** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Shivshankar Baithammgpy	BR06PF1026		BR8677230503160514	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 656 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Ritu Shamra


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF2740** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ritu Shamra	BR06PF2740		BR8677230503153233	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर ।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 657 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Md Tanvir Alam

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF0741** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Md Tanvir Alam	BR06PF0741		BR8677230503150804	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर ।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 658 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Amit Kumar

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD8262** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Amit Kumar	BR06PD8262		BR8677230503145421	5/3/2023	78840	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर ।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 659 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Ms Alok Travels


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD1116** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ms Alok Travels	BR06PD1116		BR8677230503144354	5/3/2023	111864	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर ।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 660 /परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Islam Nadaf

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF0624** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Islam Nadaf	BR06PF0624		BR8677230503143418	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/06/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर ।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 661 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Jitendra Paswan Mmgpy


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE9661** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Jitendra Paswan Mmgpy	BR06PE9661		BR8677230503142453	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 662 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Lauhu Momin

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5211** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Lauhu Momin	BR06P5211		BR8677230503140748	5/3/2023	53072	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर ।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 663 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Md Arif Raza Mmgpy


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE9105** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Md Arif Raza Mmgpy	BR06PE9105		BR8677230503140328	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 664 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Raju Paswan Mmgpy

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE9104** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Raju Paswan Mmgpy	BR06PE9104		BR8677230503135939	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/06/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर ।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 665 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Ashok Kumar Mmgpy


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE9103** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ashok Kumar Mmgpy	BR06PE9103		BR8677230503135602	5/3/2023	12000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 666 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Arjun Kumar Mmgpy


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE9102** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Arjun Kumar Mmgpy	BR06PE9102		BR8677230503135226	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 667 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Ravi Kumar Majhi Mmgpy


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE9101** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ravi Kumar Majhi Mmgpy	BR06PE9101		BR8677230503134833	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 668 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Umesh Paswan Mmgpy


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE8950** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Umesh Paswan Mmgpy	BR06PE8950		BR8677230503134341	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 669 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Babloo Thakur Mmgpy


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE8949** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Babloo Thakur Mmgpy	BR06PE8949		BR8677230503133910	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 670 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Chunchun Ram Mmgpy


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE8948** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Chunchun Ram Mmgpy	BR06PE8948		BR8677230503133455	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 671 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Randhir Kumar

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE8947** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Randhir Kumar	BR06PE8947		BR8677230503133044	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 672 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

Mukesh Kumar Mmgpy


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE8946** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Mukesh Kumar Mmgpy	BR06PE8946		BR8677230503132508	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 673 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Ravi Kumar Paswan Mmgpy


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE8945** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ravi Kumar Paswan Mmgpy	BR06PE8945		BR8677230503130149	5/3/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 674 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Janki Sukla

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR33P1001** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Janki Sukla	BR33P1001		BR8677230502145940	5/2/2023	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर ।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 675 /परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Madhukar Kumar

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD1001** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Madhukar Kumar	BR06PD1001		BR8677230502145232	5/2/2023	2000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर ।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 676 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

Naween Chandra

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30PA4351** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Naween Chandra	BR30PA4351		BR8677230502144558	5/2/2023	12000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/06/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर ।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 683 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

MADHASUDHAN PRASAD

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P1809** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही हैं एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
MADHASUDHAN PRASAD683	BR22P1809		BR8610230503184525	3/5/2023	7000	PENDING

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 684 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

VEDPRAKASH PANDEY

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P3789** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही हैं एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
VEDPRAKASH PANDEY684	BR22P3789		BR8610230503182556	3/5/2023	7000	PENDING

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 685 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

RAKESH KUMAR


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P7801** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही हैं एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
RAKESH KUMAR685	BR22P7801		BR861023050318405	3/5/2023	63120	PENDING

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 686 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

MITHILESH KUMAR


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P8337** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही हैं एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
MITHILESH KUMAR686	BR22P8337		BR8610230503175250	3/5/2023	73120	PENDING

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 687/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

CHANDRA BHUSHAN SINGH


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P2805** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही हैं एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
CHANDRA BHUSHAN SINGH687	BR22P2805		BR8751230503180915	3/5/2023	9000	PENDING

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 688 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

BHUSHAN SINGH


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P2278** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही हैं एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
BHUSHAN SINGH688	BR22P2278		BR8751230503180547	3/5/2023	7000	PENDING

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 689/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

ARUN KUMAR


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P1556** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही हैं एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
ARUN KUMAR689	BR22P1556		BR8751230503175453	3/5/2023	9000	PENDING

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 690 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

SMT. YASHBALA DEVI


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P1358** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही हैं एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
SMT. YASHBALA DEVI690	BR22P1358		BR8751230503174811	3/5/2023	19000	PENDING

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 691 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21 / 06 / 2023

प्रेषित,

SHAMSHUL RAHMAN


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P1094** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही हैं एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
SHAMSHUL RAHMAN691	BR22P1094		BR8751230503174210	3/5/2023	12000	PENDING

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 692/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

RITI KUMARI


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR55A-5575** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
RITI KUMARIRITI KUMARI	BR55A-5575	<u>0259</u> <u>2019</u>	BR8735230512161615	45058	17000/-	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


21/06/23
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 693/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

RAMASHRE SAH


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR55P-0282** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही हैं एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
RAMASHRE SAHRAMASHRE SAH	BR55P-0282	BR/106/ce mc P3/2019 3929	BR8735230512155736	45058	17000/-	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


21/06/23
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 694 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

ANIL KUMAR


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR55P-0403** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
ANIL KUMARANIL KUMAR	BR55P-0403	BR 2020-CC 2933B	BR8735230512160127	45058	10000/-	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


21/06/23
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 695/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

SHATRUGHAN THAKUR


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31PA8540** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
SHATRUGHAN THAKURSHATRUGHAN THAKUR	BR31PA8540	BR2021 SC-0442 A	BR8648230504145013	45050	17000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 696/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

MANMARDAN SHUKLA


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31P2251** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
MANMARDAN SHUKLAMANMARDAN SHUKLA	BR31P2251	0119 2014	BR8740230504163050	45050	7000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


21/06/23
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 697/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

RAJA RAY


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31PA7935** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही हैं एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
RAJA RAYRAJA RAY	BR31PA7935	BR 2021-SC 1075A	BR8648230504142509	45050	64624	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


21/06/23
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 698/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-21/06/2023

प्रेषित,

RAKESH KUMAR JHA


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31P1151** पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने के कारण इस वाहन का परिचालन एवं परमिट निलंबित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियमानुसार कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके उक्त वाहन पर शमन अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक शमन की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र-हिन्दुस्तान में दिनांक 19.04.2023 को एवं समाचार पत्र-प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान में दिनांक 03.06.2023 को प्रकाशित किया गया। साथ ही आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया गया। M-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कई मौका मिलने एवं जानकारी के बावजूद भी आपके द्वारा शमन की राशि जमा नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शमन की राशि जमा करने में कोई अभिरुचि नहीं है तथा आपके द्वारा जानबुझ कर प्राधिकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं सरकार के राजस्व की क्षति कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

अतएव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में निहित प्रावधान के आलोक में आपके वाहन के परिचालन एवं परमिट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
RAKESH KUMAR JHARAKESH KUMAR JHA	BR31P1151	BR 2021-SC 2892A	BR8648230504140311	45050	2000	Pending

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक **05.07.2023** को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।